

UAPA संबंधी ववाद

प्रलिस के लयः

[गैर-कानूनी गतवधियौं \(रोकथाम\) अधनियम, 1967](#), [दंड प्रकरया संहति \(CrPC\)](#), [भारतीय दंड संहति \(IPC\)](#)

मेन्स के लयः

UAPA: संबधति नरिणय, चतिरँ, आगे की राह

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्या में क्यौं?

हाल ही में **दिल्ली के उपराज्यपाल (LG)** ने उपन्यासकार अरुंधति रॉय के खलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। उन पर **वर्ष 2010 में कश्मीरी अलगाववाद का समर्थन करने वाले एक कार्यक्रम में भडकाऊ बयान देने** का आरोप है। यह मंजूरी **वधिविरुद्ध क्रया-कलाप (नवारण) अधनियम, 1967** की धारा 13 के तहत दी गई है।

- वर्ष 2023 में, लेखक पर भारतीय दंड संहति (Indian Penal Code- IPC) की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए।

नोट: UAPA की धारा 13 कसी भी वधिविरुद्ध क्रया-कलाप (नवारण) अधनियम का समर्थन देने या उकसाने से संबधति है और इसके लयि सात वर्ष तक का कारावास हो सकता है।

वधिविरुद्ध क्रया-कलाप (नवारण) अधनियम (UAPA) क्या है?

पृष्ठभूमि:

- 17 जून, 1966 को राष्ट्रपति ने “**व्यक्तियों और संगठनों की गैर-कानूनी गतवधियौं की अधकि प्रभावी रोकथाम के लयि**” वधिविरुद्ध क्रया-कलाप (नवारण) अधनियम अध्यादेश लागू कया।
 - इसके बाद गैर-कानूनी गतवधियौं (रोकथाम) अधनियम 1967 अधनियमति कया गया।

परचय:

- गैर-कानूनी गतवधियौं (रोकथाम) अधनियम, 1967 को **व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैरकानूनी गतवधियौं की अधकि प्रभावी रोकथाम, आतंकवादी गतवधियौं** से नपिटने तथा उनसे संबधति मामलों के लयि अधनियमति कया गया था।
 - गैर-कानूनी गतवधियौं को **भारत के कसी भी हसिसे के अधगिरहण या पृथक्करण का समर्थन या उकसावा देने वाली** कार्रवाइयौं या इसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठाने वाली या उसका अनादर करने वाली कार्रवाइयौं के रूप में परभाषति कया जाता है।
- यूपीए के तहत **राष्ट्रीय अन्वेषण अभकिरण** (National Investigation Agency- NIA) को देश भर में मामलों की जाँच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार दया गया है।
 - यह अधनियम **राष्ट्रीय अन्वेषण अभकिरण (NIA) के महानदिशक को संपत्तकी ज़बती या कुरकी की मंजूरी देने का अधिकार** भी देता है, जब एजेंसी द्वारा मामले की जाँच की जा रही हो।

संशोधन:

- इसमें कई संशोधन कयि गए (**वर्ष 2004, 2008, 2012 और 2019**) जिसके तहत आतंकवादी वतितपोषण, **साइबर आतंकवाद**, कसी व्यक्तकी आतंकवादी घोषति करना तथा संपत्तज़िबती से संबधति प्रावधानों का वसितार कया गया।

प्रमुख प्रावधान:

- वर्ष 2004 तक “**गैरकानूनी**” गतवधियौं का तात्पर्य क्षेत्र के **अलगाव एवं अधगिरहण से संबधति कार्यों** से था। वर्ष 2004 के संशोधन के बाद, “**आतंकवादी कृत्य**” को अपराध की सूची में शामिल कया गया।
 - वर्ष 2019 के संशोधन द्वारा सरकार को **व्यक्तियों को आतंकवादी घोषति करने का अधिकार** दया गया।

- यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी भी गतविधिको गैर-कानूनी घोषित करने का पूर्ण अधिकार देता है। अगर सरकार किसी गतविधिको गैरकानूनी मानती है तो वह आधिकारिक राज-पत्र में प्रकाशित करके इसे आधिकारिक रूप से गैर-कानूनी घोषित कर सकती है।
- UAPA के तहत जाँच एजेंसी गरिफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिनों में चार्जशीट दाखल कर सकती है तथा न्यायालय को सूचित करने के बाद इस अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है।
- इसके तहत भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर आरोप लगाए जा सकते हैं। यह अपराधियों पर समान तरह से लागू होता है भले ही अपराध भारत के बाहर किसी विदेशी भूमि पर किया गया हो।
- इसमें मृत्युदंड तथा आजीवन कारावास सबसे कठोर दंड हैं।
- **संबंधित नरिणय:**
 - **अरुण भुइयाँ बनाम असम राज्य (2011) मामले** में उच्चतम न्यायालय ने नरिणय दिया कि किसी प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता मात्र से किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसा तब किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति हिंसा का सहारा लेता है या लोगों को हिंसा के लिये उकसाता है या अव्यवस्था पैदा करने के इरादे से कोई कार्य करता है।
 - हालाँकि, वर्ष 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ऐसे संगठनों में केवल सदस्यता को ही अपराध माना जा सकता है, भले ही वह प्रत्यक्ष हिंसा में शामिल न हो।
 - **पीपुल्स यूनिन फॉर सविलि लबिर्टीज़ बनाम भारत संघ (2004) मामले** में, न्यायालय ने नरिणय दिया कि यदि आतंकवाद से मुकाबले के प्रयासों में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो यह आत्म-पराजय की स्थिति होगी।
 - न्यायालय ने माना कि एक पूर्व पुलिस अधिकारी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना बेहतर नरिणय नहीं है क्योंकि उनका अनुभव मानवाधिकारों की रक्षा एवं प्रचार करने के बजाय अपराधों की जाँच से अधिक संबंधित है।
 - **मज़दूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ (2018) मामले** में न्यायालय ने कहा कि सरकारी और संसदीय कृत्यों के वरिद्ध आवाज़ उठाना वैध है। हालाँकि ऐसे विरोध प्रदर्शन और सभाओं को शांतपूरण एवं अहसिक/नरिायुध होना चाहिये।
 - **हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ, 2017 मामले** में जमानत आवेदनों की प्रक्रिया में तेज़ी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें इस बात पर बल दिया गया था कि जमानत मानक आधार होनी चाहिये तथा कारावास को एक दुर्लभ अपवाद के रूप में संदर्भित किया जाना चाहिये।
 - **NIA बनाम ज़हूर अहमद शाह वटाली, 2019** में उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया था कि न्यायालयों को सबूतों में गहराई से न जाते हुए UAPA से संबंधित जमानत आवेदनों पर नरिणय लेते समय राज्य के मामले को भी आधार बनाना चाहिये।

UAPA से संबंधित चिंताएँ क्या हैं?

- **कम दोषसिद्धि दर:** NCRB के आँकड़ों के अनुसार, UAPA के तहत लंबित मामलों की एक बड़ी संख्या में दोषसिद्धि दर कम है।
 - UAPA के केवल 18% मामलों में ही दोषसिद्धि होती है, हालाँकि लंबित मामलों की दर 89% है।
- **व्यक्तिपरक व्याख्या:** गैरकानूनी गतविधियों की अस्पष्ट परिभाषा व्यक्तिपरक व्याख्याओं की अनुमति देती है, जिससे यह विशिष्ट समूहों या व्यक्तियों के खिलाफ उनकी पहचान या विचारधारा के आधार पर संभावित दुरुपयोग के प्रति संवेदनशील हो जाती है।
- **सीमित न्यायिक समीक्षा:** वर्ष 2019 का संशोधन सरकार को किसी भी **न्यायिक समीक्षा** के बगैर व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार प्रदान करता है, जिससे कानून की उचित प्रक्रिया और मनमाने ढंग से नामित किये जाने की संभावना के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **हरिसत संबंधी नयिम:** UAPA में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति पर बिना आरोप लगाए 6 माह तक हरिसत में रखने की अनुमति है। यह नयिमिति अपराधिक विधि के बलिकुल विपरीत है, जो जमानत मांगने से पूर्व केवल 3 माह की पूर्व-आरोप अवधि की अनुमति देता है।
- **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:** यह विधि संविधान द्वारा संरक्षित अभिव्यक्ति, सभा और संघ के आवश्यक अधिकारों का उल्लंघन करती है।
 - यह असहमति व्यक्त करने और विरोध करने को अवैध बनाता है, इसका इस्तेमाल अधिविक्ताओं, पत्रकारों, छात्रों तथा हाशिये पर पड़े समुदायों को नशाना बनाने हेतु किया जा सकता है जो अधिकारियों के खिलाफ बोलते हैं।

आगे की राह

- **विधिका इस्तेमाल अंतिम उपाय के रूप में करना:** यह सुनिश्चित करें कि UAPA कानून का इस्तेमाल केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाए, न कि सुरक्षा संकट या सामाजिक अशांति से निपटने के लिये पहली प्रतिक्रिया के रूप में।
 - UAPA कानून का इस्तेमाल विधि सम्मत, आलोचना या विरोध को दबाने या नागरिकों, पत्रकारों, शक्तिवादियों या मानवाधिकार रक्षकों को परेशान करने, डराने या चुप कराने के लिये नहीं किया जाना चाहिये।
 - सरकार को सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिये तथा उनकी रक्षा करनी चाहिये एवं संघर्षों और शकियतों के समाधान करने के लिये संवाद, बातचीत व सुलह का प्राथमिक साधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिये।
- **संशोधन की आवश्यकता:** "गैरकानूनी गतविधि" और "आतंकवादी कृत्य" की परिभाषा को परिष्कृत करने की आवश्यकता है, ताकि विशेष रूप से शांतपूरण विरोध प्रदर्शन, भनिन दृष्टिकोण तथा वैचारिक अभिव्यक्ति जैसी संवैधानिक रूप से संरक्षित गतविधियों को इससे पृथक रखा जा सके।
 - वर्तमान परिभाषाएँ अत्यधिक अस्पष्ट, व्यापक होने के साथ ही व्याख्या के लिये खुली हैं, जिससे सरकार को आपत्तजनक लगने वाली किसी भी कार्रवाई को संभावित रूप से अपराध घोषित करने की अनुमति मिलती है।
 - जैसा कि भकबूल फदिा हुसैन [2][2][2] राजकुमार पांडे, 2008 के मामले में नरिणित किया गया है, अनुच्छेद 19(1)(a) में उल्लिखित असहमति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
- **गैर-पक्षपातपूर्ण समीक्षा तंत्र:** कुछ समूहों या व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने अथवा उन्हें गैरकानूनी या आतंकवादी करार देने के सरकारी नरिणयों की समीक्षा के लिये एक प्रणाली नरिमिति की जानी चाहिये। यह प्रणाली स्वतंत्र एवं नष्पिक्क होनी चाहिये, जिससे सरकार के कार्यों की नगरिनी के साथ-साथ चुनौती भी दी जा सके।

- वर्तमान प्रणाली पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सरकार को अपने नरिणियों को उचित ठहराने या साक्ष्य उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होती है और साथ ही समीक्षा न्यायाधिकरण प्रायः सरकार से प्रभावित होता है।
- नरिदोषता की धारणा: अधिनियम की धारा 43D(5) में संशोधन किया जा सकता है ताकि दोष सिद्ध होने तक नरिदोषता की धारणा पर स्पष्ट रूप से ज़ोर दिया जा सके।
 - इससे यह सुनिश्चित होगा कि अभियोजन पक्ष को जमानत प्रक्रिया के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार उठाना पड़ेगा और साथ ही आरोपी को अपनी नरिदोषता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- जमानत अस्वीकार करने के स्पष्ट आधार: जमानत देने से इनकार करने के लिये विशिष्ट एवं सुपरभाषित आधार स्थापित करने के लिये प्रावधान में परिवर्तन किया जा सकता है।
 - इससे जमानत को मनमाने ढंग से अस्वीकार करने से रोका जा सकेगा तथा न्यायालयों एवं अभियुक्तों को उन स्थितियों के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त होगी जिनमें जमानत से इनकार किया जा सकता है।

नबिकरष

उल्लखिति मामले में, यह संदेहास्पद है कि क्या हसिा के लिये कसिी वशिषिट आह्वान के बनिा मातर भाषण को UAPA के तहत "गैर-कानूनी गतविधि" माना जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि कश्मीर की स्थितिके बारे में वचिरों अथवा परामर्श की अभवियकर्ता, भले ही वे वविादास्पद या आलोचनात्मक हों और साथ ही यह आवश्यक नहीं है कि UAPA का उल्लंघन हो, जसिका उद्देश्य आमतौर पर गैर-कानूनी कार्रवाई के लिये प्रत्यक्ष रूप से उद्दीपन को संबोधित करना होता है।

प्रश्न. गैरकानूनी गतविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के प्रमुख प्रावधान क्या हैं और इन प्रावधानों ने राष्ट्रीय सुरक्षा एवं नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन को कैसे प्रभावित किया है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न.:

प्रश्न. भारत सरकार ने हाल ही में वधिविदुध क्रयिकालाप (नविरण) अधिनियम, (UAPA), 1967 और एन. आई. ए. अधिनियम के संशोधन के द्वारा आतंकवाद-रोधी कानूनों को मज़बूत कर दिया है। मानवाधिकार संगठनों द्वारा वधिविदुध क्रयिकालाप (नविरण) अधिनियम का वरिध करने के वसितार और कारणों पर चर्चा करते समय वर्तमान सुरक्षा परविश के संदर्भ में परिवर्तनों का वशिलेण कीजिये। (2019)